राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपीडी/टी.ए./12427/2004/टोंक

नन्दा पुत्र हरला, जाति रेगर, निवासी ग्राम थडोली, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर, टोंक।
2– भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीसलपुर परियोजना, देवली।
3– गोपाल पुत्र काना
4– भागा बेवा काना
5– नानूडा पुत्र गोवर्धन
6– गंगाराम पुत्र चन्द्रा
7– नाथू पुत्र चन्द्रा
8– छोटू पुत्र चन्द्रा

समस्त जाति रेगर, निवासी ग्राम थडोली, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक

9– भूमि विकास बैंक, टोंक
10– राज0 सरकार जरिये तहसीलदार टोडारायसिंह, जिला टोंक।

.....रेस्पोडेन्ट

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थित–
श्री वैभवकृष्ण पारीक, अभिभाषक अपीलार्थी के बी0एच0
श्रीमती पूनम माथुर, अति0 राजकीय अभिभाषक रैस्पो0 1–2
श्री तेजेन्द्र सिंह, अभिभाषक रैस्पो0 9 के बी0एच0

निर्णय

दिनांक : 06.02.2020

हस्तगत द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 224 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा अपील संख्या 29/02 शीर्षक 'नन्दा बनाम राज0 सरकार' में पारित निर्णय दिनांक 15–07–2004 के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/अपी0 ने एक वाद अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक कलक्टर, टोडारायसिंह के समक्ष प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय का पेश किया कि आराजी स्थित ग्राम थडोली खसरा नम्बरान 70, 71, 72, 73, 75, 76 किता 6 कुल रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी 3 से 5 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी 6,7 का 3/8 हिस्सा, प्रतिवादी 8 का 1/8 हिस्सा है और अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त हैं। प्रतिवादी संख्या 3,4,5 ने अपने हिस्से 1/4 व वादी के हिस्से 1/4 को सीर पर काश्त किया और पर्चा सैटलमैंट सम्वत् 1999 में वादी के 1/4 हिस्से को भी अपने नाम दर्ज करा लिया जब कि वादी का अपने 1/4 हिस्से पर कब्जा काश्त है। प्रश्नगत आराजी बीसलपुर बॉध परियोजना के तहत आ रही है, जिसका प्रतिवादी संख्या 3 से 5 उक्त अंकनों के आधार पर मुआवजा प्राप्त करना चाह रहे हैं। अतः दावा वादी डिक्री कर खसरा नम्बरान 70, 71, 72, 73, 75, 76 किता 6 कुल रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा में वादी को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी 3 से 5 को

1/4 हिस्सा, 1/2 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 3 के पिता व 4 के पति व 5 के हक में खातेदारी घोषणा की जा कर इसी अनुसार मुआवजा प्राप्ति का हकदार माना जाये और प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को पाबन्द किया जाये कि प्रतिवादी संख्या 3 से 5 को 1/2 हिस्से का मुआवजा प्रदान नहीं करें। प्रतिवादी संख्या 3 से 5 ने असहमति का जबाबदावा प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, टोडारायसिंह ने निर्णय दिनांक 11–04–2002 से वादी का वाद खारिज किया। उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा अपील संख्या 29/02 शीर्षक 'नन्दा बनाम राज0 सरकार' में पारित निर्णय दिनांक 15–07–2004 से अपील को पोषणीय नहीं मानते हुये खारिज किया। उक्त निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपील मूल वाद के वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4– अपीलार्थी–वादी पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की गई थी उसमें प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 3–5 के द्वारा आदेश 41 नियम 1 एवं धारा 151, सी0पी0सी0 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था कि वाद दिनांक 8.12.1999 को नॉट प्रैस में खारिज हो गया था और अभिभाषकगण के पीछे से आदेशिका को काट कर प्रकरण को शहादत में नियत किया गया था। वाद नॉ प्रैस में खारिज हो जाने से वादपत्र में बाद में प्रस्तुत किया गया राजीनामा व अन्य कार्यवाही विधिशुण्य है, अतः अपील पोषणीय नहीं है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस आपत्ति को स्वीकार करते हुये ही अपील को आक्षेपित आदेश के द्वारा पोषणीय होना नहीं मानते हुये खारिज किया है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि वादी द्वारा अपने अधिवक्ता को कभी भी वाद को नहीं आगे नहीं चलाने हेतु नहीं कहा गया है, यदि अधिवक्ता की किसी प्रकार की त्रुटि रही है तो उसके लिए पक्षकार को दंडित नहीं किया जा सकता है। वादी के अधिवक्ता ने वाद को नॉट प्रैस नहीं किया है। सम्पूर्ण आदेशिका दिनांक 8–12–1999 में पीठासीन अधिकारी के एक बार ही हस्ताक्षर किए हुये हैं, अतः प्रकरण को वास्ते शहादत नियत करने की आदेशिका को असत्य नहीं कहा जा सकता है। दिनांक 8–12–1999 के बाद करीब 38 तारीख पेशियां आगे की दी गई हैं और इनमें उभय पक्ष के अधिवक्तागण की उपस्थित दर्ज है। प्रतिवादी द्वारा विधिवत साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा गया है। स्पष्ट है कि प्रकरण में विधिवत उभय पक्ष को सुनवाई करने के उपरान्त दिनांक 11–04–2002 को निर्णय पारित किया गया है। यदि वास्तव में प्रकरण में दिनांक 8–12–1999 को नॉट प्रैस किया गया होता तो प्रतिवादी आगे की कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुये होते। उनके द्वारा दिनांक 8–12–1999 के आदेश को भी कहीं चुनौती नहीं दी गई है। अतः दिनांक 11–4–2002 का आदेश गुणावगुण पर परीक्षण उपरान्त पारित किया गया निर्णय है जिसके विरुद्ध अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत प्रथम अपील पोषणीय है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अविधिक रुप से निर्णय पारित करते हुये अपील को पोषणीय होना नहीं माना है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया जाये।

5– रैस्पो0/प्रतिवादी पक्ष के योग्य राजकीय अति0 अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि परीक्षण न्यायालय का निर्णय उचित होने से अपील खारिज की जावे।

6– रैस्पो0 संख्या 9 के योग्य अधिवक्ता ने बैंक के हितों को निर्णय पारित करते समय ध्यान में रखने का निवेदन किया।

7– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन, अध्ययन किया गया।

8– हस्तगत प्रकरण में स्पष्ट है कि वादी/अपी0 ने अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक कलक्टर, टोडारायसिंह के समक्ष प्रतिवादीगण के विरुद्ध दिनांक 26–2–1992 को प्रस्तुत किया। उक्त वाद में विवादित आदेशिका दिनांक 8–12–1999 की है, जो इस प्रकार से है –

> "पत्रावली दिनांक 26.11.99 के बजाए आज पेश हुई। अभिभाषकगण उभय पक्ष उप0। अभिभाषक वादी वाद हाजा को नहीं चलाना चाहते सो दावा नॉट प्रैस में खारिज किया जाता है। **पत्रावली नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।**
>
> पत्रावली वास्ते शहादत 15.1.2000 को पेश हो।"

स्पष्ट है कि उक्त आदेशिका में **पत्रावली नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।** को कटिंग करते हुये इसके स्थान पर पत्रावली वास्ते शहादत 15.1.2000 को पेश हो, अंकित किया गया है। आदेशिका में भी नॉट प्रैस अंकित कर अधिवक्ता के हस्ताक्षर किए गए हैं। किन्तु पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर पत्रावली वास्ते शहादत 15.1.2000 को पेश हो के बाद ही किए गए हैं।

9– पाया जाता है कि इस दिनांक 26.11.99 के उपरान्त प्रकरण में करीब 38 आगामी पेशियां दी गई हैं जिनमें दोनों पक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित होना अंकित किया गया है और "प्रतिवादी साक्ष्य का अवसर चाहते हैं" कई पेशियों में अंकित किया गया है तथा दिनांक 23–10–2000 को आदेशिका में अंकित किया गया है कि "प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाना चाहते हैं" और इस प्रकार पत्रावली वास्ते अंतिम बहस नियत की गई है। दिनांक 27.3.2000 को पक्षकारान के मध्य राजीनामा भी प्रस्तुत किया गया है जिसे परीक्षण न्यायालय के स्तर पर ही तस्दीक भी किया गया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 8. 12.1999 को दावा नौट प्रैस में खारिज होना मानते हुये, अपील को पोषणीय नहीं होना माना है किन्तु प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यही है कि यदि दिनांक 8.12.1999 को दावा वास्तव में नौट प्रैस में खारिज हो गया था तो फिर प्रकरण में अगली करीब 38 पेशियां किस प्रकार से दी गईं जिनमें दोनों पक्ष उपस्थित रहे हैं? यदि ऐसा हुआ होता तो प्रतिवादी पक्ष की ओर से निश्चित ही वाद में आगामी कार्यवाही करने पर दिनांक 8.12.1999 से आगामी पेशी पर ही आपत्ति कर दी गई होती, किन्तु ऐसा नहीं किया गया है। प्रकरण में पेश किया गया राजीनामा दिनांक 27.3.2000 भी रिकार्ड पर है। यदि वास्तव में ही दावा दिनांक 8.12. 1999 को नौट प्रैस में खारिज हो गया होता दोनों पक्ष आगे की कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुये होते और उनके द्वारा दिनांक 8.12.1999 को दावा नौट प्रैस में खारिज होने की कार्यवाही को ही आगे के न्यायालय में चुनौती दी गई होती, करीब चार वर्ष से भी अधिक समय तक वाद की कार्यवाही को चालू नहीं रखा गया होता। स्पष्ट है कि प्रकरण में दिनांक 11–4–20002 को परीक्षण न्यायालय ने धारा 88, 89, 188 के वाद में गुणावगुण आधारित निर्णय पारित किया है और उक्त वाद के विरुद्ध धारा 223 के तहत प्रथम अपील का प्रावधान है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने तथ्यों के विपरीत जाते हुये आक्षेपित

निर्णय दिनांक 15–7–2004 "अपील के पोषणीय नहीं होने" बाबत् पारित किया है जो बहाल रखे जाने योग्य नहीं है।

10– फलतः हस्तगत अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है और भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा अपील संख्या 29/02 शीर्षक 'नन्दा बनाम राज0 सरकार' में पारित निर्णय दिनांक 15–07–2004 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील योग्य मानते हुये अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को प्रति प्रेषित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत अपील को विधिवत दर्ज रजिस्टर करते हुये, उभय पक्ष को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान करें और आदेश 41 नियम 31, सिविल प्रक्रिया संहिता के सुसंगत प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में गुणावगुण आधारित निर्णय पारित किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य